फाइल नं0-71-1002/47/2023

89/2023/I/335323/2023

**प्रेषक,**

**एस0 पी0 सिंह,**
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 20 जून, 2023

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 31 पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु उपकरणों की सूची अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के पत्र संख्या-पी0सी0/2023/554, दिनांक 31.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 31 पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु विभागवार क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सचूी, लागत रू0 3,86,20,000.00 आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

2- अवगत कराना है कि अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–यू014017/146/2019-एमई-।।/8035777, दिनांक 25.08.2022 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 31 पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु रू0 37.20 करोड़ की लागत अनुमोदित की गयी है। उक्त योजना का फण्डिंग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश+राज्यांश) है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 31 पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु विभागवार उपकरणों की सूची, लागत रू0 03,86,20,000.00 (संलग्नक-1 के अनुसार) निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-**

1. उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेशसिफिकेशन, क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उपकरणों की गुणवत्ता, मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
3. उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों एवं यू0पी0 प्रोक्योरमेन्ट एण्ड गुड्स मैनुअल, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।
5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97 (ल0उ0)/2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2 (एस0पी0)/2017, दिनॉक 15.01.2018 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष रू0 1.00 लाख तक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा रू0 50.00 लाख क्रयाधिकार संबंधी निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही क्रय प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रयादेश निर्गत किये जायेंगे।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं प्रधानाचार्य की होगी।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव

**संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव

**संलग्नक-**

राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में पी0जी0 सीट की वृद्धि हेतु विभागवार उपकरणों की सूची:-

| Category/ Item | Requirement | Existing | Gap | Approx. Cost | Total Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| **(1) ANESTHESIOLOGY** | | | | | |
| Anesthesia Work Station | 3 | 0 | 3 | 9000000 | |
| Multi Channel Monitor with 2 Invasive Probes | 5 | 0 | 5 | 5000000 | |
| Fibre optic laryngoscope | 10 | 0 | 10 | 100000 | |
| Fibre optic bronchoscope | 1 | 0 | 1 | 1000000 | **15100000** |
| **(2) DERMATOLOGY, VENOREOLOGY & LEPROSY** | | | | | |
| Biopsy punches | 10 SET | 0 | | 2000 | |
| Patch testing kits | 10 KIT | | | 100000 | |
| Chemical Peels | | | | 50000 | |
| Laser for hair reduction | 1 | 0 | 1 | 1500000 | |
| Laser for scar revision | 1 | 0 | 1 | 1500000 | |
| Laser for pigment removal | 1 | 0 | 1 | 1500000 | |
| Pulse oxymeters | 5 | 0 | 5 | 13000 | |
| Syringe pumps | 5 | 0 | 5 | 50000 | |
| ECG Machine | 1 | 0 | 1 | 15000 | **4730000** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**(3) OBSTETRICS AND GYNECOLOGY**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulse Oxymeters | 10 | 0 | 10 | 25000 | |
| Ultrasound Machine | 1 | 0 | 1 | 1000000 | |
| Operative Hysteroscope with Monitor, Camera and Accessories | 1 | 0 | 1 | 2500000 | |
| Laparoscope | 1 | 0 | 1 | 1500000 | |
| Fogging Machine for Operation Theatres | 2 | 0 | 2 | 100000 | |
| Cryo Gun with Probes | 2 | 0 | 2 | 100000 | |
| Multi Channel Monitor with 2 Invasive Probes | 5 | 0 | 5 | 500000 | |
| Two Para Monitors | 10 | 0 | 10 | 300000 | |
| Multimedia Projector | 1 | 0 | 1 | 100000 | |
| NST Machine | 3 | 0 | 3 | 300000 | |
| Centrifugation Machine for IUI | 1 | 0 | 1 | 50000 | |
| Labor Tables | 4 | 0 | 4 | 200000 | |
| Suction Machine | 2 | 0 | 2 | 45000 | |
| Obstetrics & Gynecological Surgical Instruments | | | | 50000 | **6770000** |

**(4) OTO-RHINO LARYNGOLOGY**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| High speed drill in operation theatre | 1 | 0 | 1 | 1000000 | |
| Digital mono & bipolar cautery | 1 | 0 | 1 | 100000 | |
| Nerve stimulator/ monitor | 1 | 0 | 1 | 500000 | |
| High definition digital camera with recording system | 1 | 0 | 1 | 200000 | |
| OAE | 1 | 0 | 1 | 500000 | |
| $CO_2$ LASER | 1 | 0 | 1 | 1000000 | |
| Diode LASER | 1 | 0 | 1 | 1000000 | |
| Harmonic scalpel | 1 | 0 | 1 | 700000 | |
| Stroboscope/ High Speed camera | 1 | 0 | 1 | 20000 | **5020000** |
| **(5) GENERAL SURGERY** | | | | | |
| Upper GI Endoscopy | 1 | 0 | 1 | 2000000 | |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lower GI Endoscopy | 1 | 0 | 1 | 2000000 | |
| Laproscopic Equipment | 1 | 0 | 1 | 3000000 | **7000000** |
| | | **GRAND TOTAL** | | **38620000** | **38620000** |

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।